भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1851

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

बीबीएमबी के अंतर्गत जलाशयों का तलकर्षण

†1851. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) ने हिमाचल में गोबिंद सागर (भाखड़ा बांध) के तलकर्षण के लिए प्रायोगिक परियोजना को स्वीकृति दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और गाद हटाने की अपेक्षित मात्रा कितनी है, परियोजना की लागत क्या है और अपेक्षित लाभ क्या हैं;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार की आपत्तियों के कारण निविदा रद्द होने से परियोजना में विलंब हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीबीएमबी द्वारा राज्य सरकार के कारण हुए इस विलंब का जलाशय की भंडारण क्षमता, पनविद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बांध की संरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीबीएमबी का पुनः निविदा जारी किए जाने और राज्य सरकार के साथ मुद्दों को सुलझाए जाने के लिए कदम उठाने का विचार है, तथा काम शुरू होने की संभावित समय-सीमा क्या है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बीबीएमबी द्वारा भाखड़ा और पोंग बांध जलाशयों के लिए तैयार की गई समयबद्ध गाद प्रबंधन नीति का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार के समेकित दृष्टिकोण के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के साथ समन्वय किए जाने संबंधी ब्यौरा क्या है, और गाद हटाने और जलाशय प्रबंधन के लिए डीआरआईपी, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत बीबीएमबी द्वारा ली गई कोई सहायता क्या है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के गोबिंद सागर जलाशय में दो स्थलों, नामतः लुहणू ग्राउंड, बिलासपुर तथा सीर खड्ड पर गाद निकासन हेतु पायलट परियोजनाएं आरंभ की हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत जलाशय प्रचालन को बेहतर बनाने हेतु 10 वर्षों की अवधि में लगभग 100 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) गाद निकासी की परिकल्पना की गई है।

इन परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक राजस्व-सृजन मॉडल के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें सफल बोलीदाता को हिमाचल प्रदेश सरकार को लागू रॉयल्टी, कर, शुल्क, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों का भुगतान करने के पश्चात उत्खनित सामग्री का वाणिज्यिक उपयोग करने की अनुमति होगी।

(ख), (ग) और (घ) : बीबीएमबी को हिमाचल प्रदेश सरकार से गाद निकासी कार्य हेतु जारी निविदाओं के संबंध में दिनांक 03.06.2026 का एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था। बीबीएमबी ने दिनांक 09.06.2026 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण परियोजना में विलंब नहीं हुआ है।

मार्च/अप्रैल 2026 के दौरान आमंत्रित निविदाएं बोलीदाताओं द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण रद्द कर दी गई थीं। तत्पश्चात, सीर खड्ड हेतु निविदा को उपयुक्त रूप से संशोधित कर पुनः जारी किया गया था। बोलियां दिनांक 23.07.2026 को खोली गईं, और तीन बोलीदाताओं ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। संविदा अवार्ड किए जाने तथा हिमाचल प्रदेश सरकार से अपेक्षित सांविधिक मंजूरियाँ प्राप्त होने के पश्चात गाद निकासी कार्य आरंभ होने की संभावना है।

(ङ) : भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने भाखड़ा एवं पोंग बांध जलाशयों हेतु कोई पृथक तलछट प्रबंधन नीति तैयार नहीं की है। तथापि, बीबीएमबी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय तल छट प्रबंधन फ्रेमवर्क (एनएफएसएम) के अनुरूप पायलट आधार पर गाद निकासी कार्य कर रहा है।

(च) : भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) जल शक्ति मंत्रालय के विश्व बैंक की सहायता से संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम, बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण II एवं III में भाग ले रहा है। इस संबंध में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) को भाखड़ा बांध के कोल बांध तक के जलग्रहण क्षेत्र में गाद-उत्पादक हॉटस्पॉट की पहचान करने तथा भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण करने हेतु नियुक्त किया गया है।
